प्रेसनोट - थाना पुवायाँ
जनपद शाहजहाँपुर
सराहनीय कार्य दिनांक – 02.05.2026

थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अपराध रोकथाम व गिरफ्तारी वांछित अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.02.2026 को वादी वीरेन्द्र शुक्ला पुत्र सतीशचन्द्र शुक्ला नि0ग्रा0 नाहिल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना पुवायाँ पर एक प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्तगण 1. अवनीश 2. राजेश 3. ज्ञानेश पुत्रगण भगवानदास 4. शिवम शुक्ला पुत्र अवनीश 5. राहुल 6. अंकित 7. गोविन्द 8. गोपाल पुत्रगण नामालूम निवासीगण ग्राम नाहिल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डा व रायफल से वादी के भाई को घेरकर फायर करना तथा घर में घुसकर वादी के पिता को जान से मारने की नीयत से प्रहार करना तथा हाथ पैर तोड देने के संबध में दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 - 105/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/117(2)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 333 बीएनएस का लोप कर धारा 126(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। दिनांक 01.05.2026 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा अभियोग में नामित अभियुक्त शिवम शुक्ला उपरोक्त उम्र करीब 28 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर थाना पुवायाँ गेट के पास से समय 22.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवम शुक्ला पुत्र अवनीश शुक्ला उम्र करीब 28 वर्ष नि0ग्रा0 नाहिल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 105/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/117(2)/109/126(2) बीएनएस थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समयः-

थाना पुवायाँ गेट के पास, दिनांक 01.05.2026 समय 22.50 बजे।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 206/2021 धारा 336/427/504 भादवि।
2. मु0अ0सं0 315/2024 धारा 307/323/325/498ए/504/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0।
3. मु0अ0सं0 105/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/117(2)/109/126(2) BNS ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

उ0नि0 सुरेश चन्द्र तिवारी।

का0 अरुण कुमार।